बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–व.सं. / 79 / 2019– 354

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागलपुर अंचल, भागलपुर। पटना–14, दिनांक–21 / 04 / 2020

विषय : जमुई जिलान्तर्गत सोनों, झाझा, सिकन्दरा, चकाई, अलीगंज, खैरा एवं जमुई प्रखंड के पथ किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.928803 हे० वन भूमि का "Vindhya Telelinks Ltd, पटना के पक्ष में" अपयोजन के प्रस्ताव पर अंतिम स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रस्ताव पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना के कार्यालय पत्रांक FC-128 दिनांक 10.02.2020 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में लगाये गये शर्त्तों के विरूद्ध प्रयोक्ता एजेंसी Vindhya Telelinks Ltd, पटना के पत्रांक VTL/OFC/FRST/BHR/WO/20/18 दिनांक 28.03.2020 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया था।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक वन भूमि–11 / 2020 400 (ई०) दिनांक 20.04.2020 द्वारा प्रस्ताव पर अंतिम (Stage-II) स्वीकृति प्रदान करने हेतु सहमति संसूचित की गयी है।

तद्आलोक में प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय के पत्रांक 11-9/98 FC दिनांक 07.09.2015 के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना द्वारा निम्नांकित शर्त्तों के साथ जमुई जिलान्तर्गत सोनों, झाझा, सिकन्दरा, चकाई, अलीगंज, खैरा एवं जमुई प्रखंड के पथ किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु 0.928803 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर अंतिम (Stage-II) सहमति प्रदान की जाती है–

(i) अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।

(ii) वर्त्तमान में इस परियोजना में NPV मद की राशि जमा करने से प्रयोक्ता एजेंसी को छूट प्रदान की गयी है, परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा संशोधन या NPV के दर में वृद्धि होने पर राशि जमा करने के संबंध में प्रयोक्ता एजेंसी को वचनबद्धता देनी होगी कि उनके द्वारा अतिरिक्त / अन्तर की राशि जमा की जायेगी।

(iii) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण के क्रम में किसी भी वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।

(iv) वन भूमि का उपयोग मिट्टी कटाई अथवा किसी भी निर्माण सामग्री को निकालने के लिये नहीं किया जायेगा, और न ही अपशिष्ट निर्माण सामग्री को वन भूमि पर फेंका जायेगा।

(v) वन क्षेत्र के अन्दर निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिये अतिरिक्त अथवा नये वन पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा।

(vi) वन क्षेत्र के भीतर मजदूरों का निवास स्थान (Labour Camp) नहीं बनाया जायेगा।

(vii) वन क्षेत्र से बाहर निवास कर रहे परियोजना कार्य में शामिल मजदूरों को ईंधन आपूर्त्ति का दायित्व प्रयोक्ता एजेंसी का होगा। प्रयोक्ता एजेंसी के क्षेत्रीय निरीक्षक/स्थानीय वन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि वन एवं वन्यप्राणियों को प्रयोक्ता एजेंसी अथवा उनके द्वारा नियोजित मजदूर/कार्य एजेंसी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचा रहें हैं।

(viii) वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।

(ix) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन सभी अन्य शर्त्तों का अनुपालन किया जायेगा, जो समय-समय पर वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किये जायेंगे।

(x) उपर्युक्त शर्त्तों में से किसी एक का भी अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी इस कार्यालय को प्रतिवेदित करेंगे।

(xi) यदि इस विषय पर पर्यावरण सुरक्षा के हित में कोई अन्य शर्त्ते आवश्यक होगी तो कालान्तर में इसे अधिरोपित किया जा सकेगा एवं प्रयोक्ता एजेंसी के लिये यह बाध्यकारी होगा।

(xii) उपभोक्ता अभिकरण (इस मामले में Vindhya Telelinks Ltd, पटना) अपयोजित वन भूमि को किसी भी अन्य व्यक्ति, प्राधिकार तथा विभाग आदि को किसी भी प्रकार से आवंटन/हस्तान्तरण/अभ्यर्पण (assignment) नहीं करेगी।

उक्त अपयोजन स्वीकृति का यह आदेश समान्य जिलों के लिये 1 (एक) हे० वन भूमि के अपयोजन की शक्ति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को देने के क्रम में अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जाता है।

उपर्युक्त शर्त्तों के अनुपालन की स्थिति का अनुश्रवण वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर द्वारा किया जायेगा एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई द्वारा विषयांकित परियोजना के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के तहत निर्गत अंतिम स्वीकृति के आलोक में 0.928803 हे० वन भूमि की विमुक्ति प्रयोक्ता एजेंसी को स्वीकृत कार्यों के लिये किया जायेगा।

विश्वासभाजन,
ह०/-
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-व.सं./79/2019-354 दिनांक 21/04/2020

प्रतिलिपिः अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची/ वन महानिरीक्षक-सह-मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, एड-हॉक कैंपा, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- व.सं./79/2019-354 दिनांक 21/04/2020

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– व.सं./79/2019–354 दिनांक 21/04/2020

प्रतिलिपिः वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल जमुई/सहायक महाप्रबंधक विध्या टेलीलिंक प्रा०, लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.4.2020

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।